

28/11/22 पत्रावली पेरा / काही अधिकाऱ्या उय. / काही
अधिकार्या श्री प्रकाश पुरोहित द्वारे अर्पण
पत्र / काद (धारा 53) RT Act को नोट पेस जादित
को निवेदन किया, कि उक्त प्रकाश - यात्रातय
में ही चलाना चाहता हूँ। अतः काद जरूर
नोट पेस खारिज करतावे। पत्रावली का आवलोकन
किया गया, सुना गया। अधिकार्या स्वयं
अर्पण पत्र (धारा 53 RT Act) जरूर
नोट पेस इकी स्तर पर खारिज किया जात है।
पत्रावली के तल शूमार दोस भाग से
काद दोस खारिज कर दो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्षपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Not Press
over

